सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 76/2017

बउनवान

प्यारेलाल पुत्र तुलसीराम जाति लोधा निवासी खानाखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बारॉ (रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 31.1.2018

अपीलांट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 622/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 27.10.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम खानाखेड़ी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 मे खसरा नम्बर 196 की रकबा 1.00 बीघा भूमि पर फसल उड़द बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 24.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट ने किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं करवाई तथा जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट एवं पटवारी बयान को आधार मानकर एक तरफा कार्यवाही करते हुये अपीलांट को सजायाब किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उड़द बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे

अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील प्रोपर नहीं करवाई गई है तथा पूर्व में किए गए अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नही किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि पायी जाती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 622/2017 मे पारित आदेश दिनांक 27.10.2017 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम खानाखेड़ी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह खसरा नम्बर 196 की रकबा 1.00 बीघा से कब्जा छोड दे एवं शास्ति राशि जमा करा दे, तो तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 622/2017 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 27.10.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां